न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 80/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00081)

मुकनाराम पुत्र श्री हरकाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 3 लाखेरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ
2. ग्राम पंचायत मायला, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, जरिये सचिव
3. ग्राम पंचायत मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ जरिये सरपच

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री ज्ञानसिह विश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30–11–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 21.05.2020 के, विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने अपने पत्र दिनांक 30.04.2018 द्वारा तहसील रावतसर की ग्राम पंचायत मायला के ग्राम लाखेरा के खसरा नं. 117 की 0.1770 हैक्टेयर बारानी प्रथम भूमि को हड्डारोड़ी हेतु आवटन करने बाबत प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रेषित किये। जिस पर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.05.2020 द्वारा उक्त भूमि पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ "हड्डारोड़ी" हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये। उक्त आंदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 एव 3 के निमित सम्मन जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नही हुए।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक मौजा लाखेरा के खसरा नं. 117 की 0.14 बिस्वा भूमि में हड्डा रोड़ी स्वीकृत किया है जिसमे रिर्पोट पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रस्तुत की है। उक्त भूमि अपीलान्ट को रकबा स्माल पेच में आंवटित है व मौका पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (1955) के अन्तर्गत स्माल पेच (छोटी पट्टी) का स्थायी आवटन हो चुका है। अपीलान्ट का रकबा रोही मौजा लाखेरा के खसरा नं. 116 में लगभग 68 बीधा कृषि भूमि बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, खसरा नं. 117 की 14 बिस्वा भूमि है जो अपीलान्ट के रकबा के चिपता है। अपीलाधीन आदेश में ग्राम पंचायत मायला के सरपच द्वारा दिनांक 5.7.2017 को पत्रांक उपखण्ड अधिकारी रावतसर को पत्र प्रस्तुत कर हड्डारोड़ी आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव का व्योरा प्रस्तुत किया था जबकि ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा 28.01.2019 को अपने द्वारा प्रेषित पत्र मे स्वय स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट को स्माल पेच में आवटित है जिस कारण हड्डारोड़ी स्वीकृत किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2020 खारिज किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2020 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन भूमि चक मौजा लाखेरा के खं. नं. 117 की 0.14 बिस्वा स्माल पेच में आवटन होने का कथन किया है परन्तु अपील मीमो के साथ स्माल पेच आवटन से सम्बधित कोई आदेश/आवटन पट्टा की प्रमाणित प्रति या जमाबन्दी प्रस्तुत नही की है बल्कि अहस्ताक्षरित अप्रमाणित फोटो प्रतिया प्रस्तुत की है जो कि साक्ष्य विधि में पढने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कोई ऐसी रिर्पोट या कथन भी नही है जिससे की अपीलान्ट के कथनो को प्रमाणित किया सके। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2020 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप का कोई न्यायिक आधार नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30–11–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर